रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 2000/आश्विन 12, 1922
No. 517] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2000/ASVINA 12, 1922

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2000

सा.का.नि. 770(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 647(अ), तारीख 2 अगस्त, 2000 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड(i), तारीख 2 अगस्त, 2000 में, ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे;

और भारत के उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 3-8-2000 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (आठवाँ संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये नियम 4-10-2000 को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट "ख" में,—

(क) मद क, 14 में,—

(i) पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु चाय ऐसे प्राकृतिक सुवास और वासक पदार्थों से युक्त हो सकेगी, जो क्रमशः वासक निर्मितियां और एकल पदार्थ हैं और जो मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य हैं और जिन्हें आत्यन्तिक रूप से मानव उपभोग के लिए वनस्पति मूल की सामग्री से चाहे वह प्राकृतिक अवस्था में हो अथवा प्रसंस्कृत हो, भौतिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त किया गया है :

परन्तु ऐसी चाय पर जिसमें मिलाया गया वासक अन्तर्विष्ट है, नियम 42 के उपनियम (मम) में यथा उपबन्धित समुचित लेबल घोषणा भी होगी :"

(ii) दूसरे परन्तुक में, "परन्तु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परन्तु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद क, 14.01 में,—(i) पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु चाय ऐसे प्राकृतिक सुवास और वासक पदार्थों से युक्त हो सकेगी, जो क्रमशः वासक निर्मितियां और एकल पदार्थ हैं और जो मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य हैं और जिन्हें आत्यन्तिक रूप से मानव उपभोग के लिए वनस्पति मूल की सामग्री से चाहे वह प्राकृतिक अवस्था में हो अथवा प्रसंस्कृत हो, भौतिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त किया गया है :

परन्तु ऐसी चाय पर जिसमें मिलाया गया वासक अन्तर्विष्ट है, नियम 42 के उप नियम (मम) में यथा उपबन्धित समुचित लेबल घोषणा भी होगी :"

(ii) दूसरे परन्तुक में, "परन्तु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परन्तु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे;

[फा. सं. पी-15014/9/2000-पीएच(एफ) डीएमएस एण्ड पीएफए]

जे. वी. आर. प्रसाद राव, अतिरिक्त सचिव

पाद टिप्पण—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, में का नि.आ. 2105 तारीख 12-9-1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अन्तिम संशोधन सा.का.नि. सं. 716(अ) तारीख 13-9-2000 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2000

G.S.R. 770(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by Sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), with the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), number G.S.R. 647(E), dated the 2nd August, 2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 2nd Aug. 2000 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette of India were made available to the public on 3-8-2000.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Audulteration Rules, 1955, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (8th Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on 4-10-2000.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in Appendix 'B',—

(a) in item A.14,—(i) for the first proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that tea may contain Natural Flavours and Natural Flavouring Substances which are flavour preparations and single substance respectively, acceptable for human consumption, obtained exclusively by physical process from materials of plant origin either in their natural state or after processing for human consumption :

Provided further that such tea containing added flavour shall bear proper label declaration as provided in sub-rule (YY) of rule 42 :"

(ii) In the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided also that" shall be substituted;

(b) in item A. 14.01,—(i) for the first proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that tea may contain Natural Flavours and Natural Flavouring Substances which are flavour preparations and single substance respectively, acceptable for human consumption, obtained exclusively by physical processing from materials of plant origin either in their raw state or after processing for human consumption :

Provided further that such tea containing added flavour shall bear proper label declaration as provided in sub-rule (YY) of the rule 42 :"

(ii) In the second proviso, for the words "Provided further that" the words "Provided also that" shall be substituted.

[No. P-15014/9/2000-PH(F) DMS&PFA]

J. V. R. PRASADA RAO, Addl. Secy.

Foot Note :—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3, of Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide G.S.R. No. 716 (E) dated 13-9-2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.